# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाचक / 2022 / 159 दिनांक :- 25.01.22

**प्रार्थीगण** **बनाम** **विप्रार्थीगण**

**बाबूखां** **शिवपाल वगैरह**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

**राजस्व आवेदन सं....72 / 21** दिनांक :– 10.03.21

## –:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम सरहद मौजा सरीयादेवी नगर पटवार मण्डल कुण्डल भू.अ.नि पादरू तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 77 रकबा 10.5785 हैक्टयर भूमि किस्म धोरा की सम्पूर्ण भूमि का नाप पैमाईश कर खसरा नम्बर 77 रकबा 10.5785 हैक्टयर भूमि किस्म धोरा के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार. सिवाना को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींस रूपये 500 / –प्रार्थीगण अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)
सिवाना

दिनांक :- 25.01.22

क्रमांक: वाचक / 2022 / 160-163

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार सिवाना।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना
3. हल्का पटवारी कुण्डल को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. बाबुखां पुत्र खीमश खां जाति मुसलमान निवासी कुण्डल वगैरह तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 13:40:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 72/2021

**प्रार्थीगणः–**

1. बाबुखां पुत्र खीमश खां जाति मोयला मुसलमान निवासी–कुण्डल तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. श्रीमती अगरकंवर पत्नी जुंजारसिंह
3. श्रीमती मदनकंवर पत्नी छैलसिंह जातियान राजपूत निवासीयान–कुण्डल तहसील सिवाना जिला –बाडमेर राज.

**बनाम**

**विप्रार्थीगण**

1. सोहनपाल पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल निवासी–बाघौर तहसील तिजारा जिला–अलवर हाल कुण्डल तहसील सिवाना जिला –बाडमेर
2. देशाकंवर पत्नी जगतसिंह जाति राजपूत निवासी सरीयादेवी नगर कुण्डल तहसील सिवाना–जिला बाडमेर
3. पाबुडा पुत्र किशना जाति राजपूत निवासी–सरियादेवी नगर कुण्डल तहसील सिवाना जिला – बाडमेर राज.
4. केसीदेवी पत्नी लच्छाराम
5. खीमाराम पुत्र अमराराम
6. झमू पत्नी धुंकाराम
7. दलारामपुत्र धुकांराम
8. बलाराम पुत्र धुंकाराम
9. नेनुदेवी पत्नी सरदाराराम
10. पकाराम पुत्र करनाराम
11. राणाराम पुत्र लच्छाराम
12. समदा पत्नी करनाराम जातियान रबारी निवासीयान –सरियादेवी नगर कुण्डल तहसील सिवाना जिला–बाडमेर
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री मुनीर अली पठान अधिवक्ता ...
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 13:40:28 IST
Reason: SelfAttested

**–: आदेश :–**

दिनांक :–10.09.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071 –2074 सरहद मौजा सरीयादेवी नगर पटवार मण्डल कुण्डल भू.अ.नि पादरू तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 77 रकबा 10.5785 हैक्टयर भूमि किस्म धोरा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सरीयादेवी नगर पटवार मण्डल कुण्डल भू.अ.नि पादरू तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 77 रकबा 10.5785 हैक्टयर भूमि किस्म धोरा का सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे, आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 10.09.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.03.10 13:40:28 IST
Reason: SelfAttested

( कुसुमलता चौहान )
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)